प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर**

**युगल पीठ**

---

**कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति**

**माननीय श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायधीश**

---

**विविध अपील (सी) क्रमांक 599 वर्ष 2010**

**अपीलकर्ता** : 1. नरेंद्र साहू, पिता यशवंत साहू, उम्र लगभग 28 वर्ष

2.यशवंत लाल साहू, पिता स्व. बलराम साहू, उम्र लग58 वर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों अपीलकर्ता निवासी नवाईपारा उतायी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : 1.कुशल साहू, पिता कामदार साहू, उम्र लगभग 45 वर्ष , नहर खपरी, पुलिस थाना अंडा तहसील गुंडरदेही, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के निवासी (वाहन का चालक)

2.मुकेश कुमार दिल्लीवार, पिता स्व. जीवनलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष साईनगर, रत्नाबांधा चौक, धमतरी, जिला-धमतरी (वाहन का मालिक)

3.ओरिएण्टल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रभागीय प्रबंधक, आदर्श बल मंदिर के सामने, पंजाबी गुरुद्वारा के पास, धमतरी, जिला-धमतरी (बीमाकर्ता)

**मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील**

---

**उपस्थित :** श्री पी आर पाटनकर, अपीलकर्ता की ओर से

श्री विनोद देशमुख, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से

---

**आदेश**

**(03 नवंबर 2011 को पारित)**

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **मुख्य न्यायाधिपति राजीव गुप्ता** द्वारा पारित किया गया-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह दावाकर्ताओं द्वारा दायर अपील है, जिसमें 12वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दुर्ग (संक्षेप में "अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 133/2009 में दिनांक 19.02.2010 को पारित प्रतिकर की राशि में वृद्धि की मांग की गई है।

2) अपीलकर्ताओं/दावेदारों, मृतका श्रीमती रामकुंवर के दुर्भाग्यपूर्ण पति और बालिग बेटे द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु के लिए दावा याचिका दायर करके 17,00,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया गया था।01.02.2007 को, न्यायाधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल 1,32,000/- रुपये प्रतिकर के रूप में दिए।

3) न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद यह माना कि मृतका श्रीमती रामकुंवर की मृत्यु दिनांक 01.02.2007 को हुई मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण ; उक्त दुर्घटना, वाहन पंजीकरण संख्या CG-12 ZC 1675 (डम्पर) के चालक द्वारा लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाने के कारण घटित हुई; चूँकि उपरोक्त दोषी वाहन डम्पर, ओरिएंटल

इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमाकृत था और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को सिद्ध नहीं कर सकी, अतः बीमा कंपनी दावाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है।

4) चूँकि प्रत्यर्थियों ने इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपर्युक्त निष्कर्ष अब अंतिम रूप से स्थिर हो गए हैं।"

5) न्यायाधिकरण ने मृतक की आय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की। मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 15,000/- रुपये में से एक-तिहाई घटाकर, दावेदारों की आश्रितता 10,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 10,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 13 के गुणक से गुणा करके, क्षतिपूर्ति राशि 1,30,000/- रुपये निर्धारित की गई। अंतिम अंत्येष्टि व्यय हेतु 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करते हुए, न्यायाधिकरण ने मृतका श्रीमती रामकुंवर की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए दावेदारों को कुल 1,32,000 रुपये का प्रतिकर प्रदान किया। न्यायाधिकरण ने उपरोक्त 1,32,000 रुपये की प्रतिकर की राशि पर दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.आर. पाटनकर ने तर्क दिया है कि न्यायाधिकरण ने मृतका की आय के संबंध में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को स्वीकार न करते हुए तथा उसकी आय केवल ₹15,000/- प्रति वर्ष आँकते हुए त्रुटि की है; अन्य मदों के अंतर्गत मात्र ₹2,000/- प्रदान करने में भी त्रुटि की है; तथा कुल ₹1,32,000/- की अल्प क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कर कम प्रतिकर निर्धारित किया है।"

7) श्री विनोद देशमुख, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीमाकर्ता दूसरी ओर, अपराधी वाहन डम्पर ने इस निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 1,32,000/- रुपये का प्रतिकर वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत है।

8) मोटर दुर्घटना दावे के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधिकरणों द्वारा दिया जाने वाला प्रतिकर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। यह न तो प्रतिकर की मामूली राशि होनी चाहिए, न ही कोई बड़ी रकम।

9) अब, हम इस बात की जाँच करेंगे कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 1,32,000/- रुपये का प्रतिकर, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10) यह सही है कि दावेदारों ने तर्क दिया है कि मृतका श्रीमती रामकुँवर कृषि और ट्यूशन से मासिक ₹8,000/- अर्जित करती थीं; परंतु न्यायाधिकरण के समक्ष मृतका के उक्त व्यवसाय और मासिक आय ₹8,000/- होने को स्थापित करने के लिए कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे साक्ष्यगत परिप्रेक्ष्य में, हम न्यायाधिकरण की उस दृष्टि में कोई त्रुटि नहीं पाते कि उसने मृतका की आय के संबंध में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को खारिज किया।

11) अधिकरण ने मृतका की आय के बारे में दावाकर्ताओं के साक्ष्य को खारिज करते हुए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर उसकी आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है। चूँकि वर्तमान मामले में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, जिसके परिणामस्वरूप मृतका श्रीमती रामकुंवर की मृत्यु हुई, वर्ष 2009 में हुई थी और 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित की

गई थी, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा मृतक की आय का 15,000/- रुपये का आकलन, पुनर्विचार के लिए आवश्यक है।

12) अधिनियम की धारा 163-ए के प्रावधानों के अंतर्गत, जिसके द्वारा वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची प्रविष्ट की गई थी, इस प्रकार प्रतिपादित है:

[163 ए. संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान-

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**स्पष्टीकरण:**

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रतिकर के किसी भी दावे में, दावेदार को यह तर्क देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, वह

संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई है।

3) केंद्र सरकार, जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

13) अधिनियम की धारा 163-ए की उप-धारा (3) में उक्त प्रावधान, केंद्रीय सरकार को जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार देती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) चूँकि केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार दूसरी अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, अतः न्यायालय/न्यायाधिकरण वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के लागू होने और दिए गए मामले में दुर्घटना की तारीख के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि का न्यायिक सूचना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं ।

15) अब, वर्तमान मामले पर लौटते हुए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें मृतका श्रीमती रामकुंवर की मृत्यु हुई, वर्ष 2009 में हुई थी। यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और वर्ष 1994 और वर्ष 2009 के बीच जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित 15,000/- रुपये की काल्पनिक आय वर्ष 2009 में 36,000/- रुपये हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय 36,000/- रुपये प्रति वर्ष मानकर प्रतिकर की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

16) यह देखते हुए कि दावेदार संख्या 1 नरेंद्र साहू मृतक का बालिग पुत्र है और उसे अपनी स्वतंत्र आय अपने बिजली के स्टोर से होती है, जैसा कि उसके पिता ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है हम मृतक की आय का 50% उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटना उचित समझते हैं। इसलिए, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 36,000/- रुपये में से 50% की कटौती करके, दावाकर्ताओं की आश्रितता का आकलन 18,000/- रुपये प्रति वर्ष किया जाता है।

17) दावेदार संख्या 2 यशवंत लाल साहू, मृतका श्रीमती रामकुंवर के पति दावा याचिका में और न्यायाधिकरण के समक्ष उनके बयान में उनकी आयु 58-59 वर्ष दर्शाई गई थी। हमारी राय में, वर्तमान मामले में 9 का गुणक उपयुक्त होगा सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन के अनुसार: **सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 सर्वोच्च न्यायालय के मामले 121** में प्रतिवेदित है, जिसमें 56-60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए 9 का गुणक निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18) वार्षिक आश्रित राशि 18,000 रुपये को 9 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर राशि 1,62,000 रुपये होती है। दावाकर्ताओं को अंत्येष्टि व्यय के लिए 5,000 रुपये; पति को संपत्ति की हानि के लिए 5,000 रुपये और संपत्ति की हानि के लिए 5,000 रुपये प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ताओं ने मृतका श्रीमती रामकुंवर की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए प्रतिकर के रूप में कुल 1,77,000 रुपये प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं।

19) दावेदारों को 45,000 रुपये के प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर निर्धारित ब्याज के रूप में 5,000 रुपये दिए जाते हैं।

20) उपरोक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं/दावेदारों द्वारा प्रतिकर बढ़ाने के लिए दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। 1,32,000/- रुपये का प्रतिकर,1,77,000/- रुपये, 45,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर 5,000/- रुपये का अतिरिक्त निर्धारित ब्याज सहित, प्रदान किया गया।

21) प्रत्यर्थि संख्या 3, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संबंधित दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कुल राशि 50,000/- रुपये (केवल पचास हज़ार रुपये) (45,000/- रुपये प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि + 5,000/- रुपये प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की मात्रा निर्धारित राशि के रूप में) जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

22) वाद-व्यय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही सही

मुख्य न्यायाधिपति श्री आर. एन. चंद्राकर न्यायधीश

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी
जाएगी।

**Translated By – Adv. Shikha Kaushik**